अल्ट्राटेक यशस्वी प्रधान

निर्णायक मंडल आज करेगा बरेली और मुरादाबाद मंडल के यशस्वी प्रधानों का चयन

- दैनिक जागरण और देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक के अभियान में प्रधानों ने दिखाई रुचि
- बरेली और मुरादाबाद मंडल के आठ जिलों से 20 यशस्वी प्रधानों का किया जाएगा चयन

अल्ट्राटेक यशस्वी प्रधान
गाँव बनेगा, देश बढ़ेगा

जागरण संवाददाता, बरेली : ग्रामीण भारत, मतलब असली भारत। असली भारत की आत्मा कहलाने वाले गांवों की विकास यात्रा नया प्रतिमान बनकर उभर रही है। ग्राम पंचायतों को विकास की धारा में बहाने वाले प्रधानों को दैनिक जागरण और अल्ट्राटेक सम्मानित करेगा। बरेली और मुरादाबाद मंडल में यशस्वी प्रधान कार्यक्रम के तहत बुधवार को तीन सदस्यीय निर्णायक मंडल आठ जनपदों के 20 प्रधानों का चयन करेगा। बरेली और मुरादाबाद मंडल की 6,610 ग्राम पंचायतों में से 5,730 ग्राम पंचायतों ने पंजीकरण कराया था, जो बताता है कि यशस्वी प्रधान को लेकर ग्राम प्रधानों में खासा उत्साह है।

दैनिक जागरण और अल्ट्राटेक की तरफ से संचालित इस अभियान के तहत बरेली मंडल के बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं जिलों और मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा जिलों के कई गांवों के प्रधानों ने आनलाइन आवेदन किया था। आठ जिलों से 5,730 ग्राम प्रधानों के आवेदन एकत्र हुए हैं, जिन्होंने अपने गांव में कराए विकास कार्यों को भी दर्शाया है। बुधवार को निर्णायक मंडल में शामिल जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर और बरेली कालेज में समाज शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उमाचरन गंगवार यशस्वी प्रधानों का चयन करेंगे। निर्णायक मंडल आनलाइन हुए आवेदनों की गहनता से जांच करेगी। बाद में निर्णायक मंडल प्रधानों पर सहमति जताते हुए 20 यशस्वी प्रधान का चयन करेंगे। इसके अलावा 40 प्रधानों को सांत्वना पुरस्कार के लिए चुना जाएगा। दैनिक जागरण और अल्ट्राटेक की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम के तहत आठ दिसंबर को सिविल लाइंस स्थित होटल ओबराय आनंद में प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा।

प्रदेश स्तर पर संचालित इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रधानों की संख्या 50 हजार से अधिक है। पूरे प्रदेश को 13 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें बरेली और मुरादाबाद मंडल से 20 यशस्वी प्रधानों का चयन होना है।

इसके बाद राज्य स्तर पर प्रधानों का चयन होगा। क्षेत्रीय विजेताओं में ही राज्य स्तर पर 20 प्रधानों का चयन किया जाएगा। बरेली और मुरादाबाद मंडल में महिला प्रधानों ने भी बड़ी संख्या में दावेदारी की है। उन्होंने अपनी नई सोच और बेहतर कार्यशैली से अपने गांवों में विकास कराया है। प्रदेश में 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। इनमें से बड़ी संख्या में अल्ट्राटेक यशस्वी प्रधान बनने के लिए आवेदन किया है। अल्ट्राटेक यशस्वी प्रधान एक ऐसा मंच है, जो प्रधानों की नई सोच और बेहतर कार्यशैली को सभी के सामने लाता है।

ग्राम पंचायतों में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले डीपीआरओ को 20 वर्ष का अनुभव

जिला पंचायत राज अधिकारी कमल किशोर 2004 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वह कानपुर नगर, कानपुर देहात, रामपुर, बिजनौर, हापुड़, कौशाम्बी, औरैया, लखनऊ जिलों में तैनात रह चुके हैं। वह जिले की 1,188 ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यों को सफलतापूर्वक कराते हैं, जिससे सर्वश्रेष्ठ प्रधानों की दौड़ में जिले की कई ग्राम पंचायतों को अग्रसर किया। प्रदेश का पहला माडल गांव विकसित करने के मामले में प्रशासनिक दायित्वों का बेहतरीं से अनुपालन कराने के लिए वर्ष 2023 में उनको राष्ट्रीय पुरस्कार नई दिल्ली में स्वच्छ गोल्ड अवार्ड मिला था।

राजनीतिक विरासत को संभालने वाली जिपंअ रश्मि ने जिला पंचायत के स्कूलों की बदली तस्वीर

पिता और ससुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाली जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल ऐसी तो सक्रिय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से हैं, लेकिन राजनीतिक ककहरा उन्होंने बचपन से सीखा। बदायूं की बिनावर विधानसभा सीट से पांच बार विधायक रहे रामसेवक सिंह पटेल के आंगन में जन्म लेने वाली रश्मि पटेल का बरेली के महापौर और विधायक दुर्वर सुभाष पटेल की पुत्रवधू हैं। गाँवों से खासा लगाव होने के साथ ही अच्छी जानकारी रखती हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का पदभार संभालने के साथ कुशल प्रशासक के रूप में काम कर रही हैं। उन्होंने जिला पंचायत के स्कूलों की तस्वीर बदल दी है।

प्रोफेसर उमाचरन गंगवार के 25 से ज्यादा जर्नल हो चुके हैं प्रकाशित

प्रोफेसर उमाचरन गंगवार, बरेली कालेज में 2003 से समाजशास्त्र विभाग में कार्यरत हैं। आपके द्वारा लिखित तीन पुस्तकें कानून का समाजशास्त्र, भारतीय कानूनी पद्धति का समाजशास्त्र और अपराध का समाजशास्त्र प्रकाशित हो चुकी हैं। पांच शोधार्थियों के गाइड हैं। 15 से अधिक रिसर्च पेपर विभिन्न जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न कॉन्फ्रेंस में 25 से ज्यादा रिसर्च पेपर पढ़े जा चुके हैं। प्रो. उमाचरन 2002–2003 तक और 2014 में भारत सरकार के पूर्व केबिनेट मंत्री सैलेष गंगवार के एडिशनल पीएस एवं ओएसडी भी रह चुके हैं।

जानलेवा हमले के दोषी को 10 साल की सजा

जार्स, मुरादाबाद : दुकान की खरीद को लेकर रंजिश में छह साल पहले पारकर रोड पर दुकानदार पर जानलेवा हमला हुआ था। अदालत ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सिविल लाइन में 26 जून 2016 को मुदुला शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि उसके पति ने वीरेंद्र शर्मा से पारकर रोड सिविल लाइन में एक दुकान खरीदी थी। 25 जून की रात मरम्मत कराई जा रही थी। इस दौरान वहां वीरेंद्र अपने दो अन्य साथियों के साथ आ गया और पति पर दुकान वापस करने का दबाव बनाने लगा जिसे पति ने मना कर दिया। इस बात पर झगड़ा हो गया। उसके साथ आए दोनों अन्य युवकों ने पास पड़ी ईंटों से हमला कर दिया। जिससे पति गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपित वीरेंद्र कुमार शर्मा निवासी पारकर रोड रेलवे कालोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 13 जितेन्द्र सिंह की अदालत में की गई। अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने बताया कि अदालत में घटना के वक्त मौजूद गवाहों ने आरोपित वीरेंद्र के खिलाफ गवाही दी। साक्ष्य के आधार पर वीरेंद्र को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

डीआइजी के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

जार्स, मुरादाबाद : भोजपुर पुलिस ने डीआइजी के आदेश पर साढ़े 41 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। मझोला में रहने वाले विजय बहादुर की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। जिसमें जमीन बेचने के नाम 41.33 लाख रुपये लेकर हड़पने का आरोप लगा है। खुशहालपुर के विजय बहादुर ने डीआइजी मुनिराज जी को शिकायती पत्र दिया है। उन्होंने बताया कि भोजपुर के गांव बीजना की जमीन का सौदा भूप सिंह उनके भाई वीर सिंह और रामकिशोर से किया था। सौदा करने के बाद तीनों को 10 लाख रुपये एडवांस भी दे दिए थे। जिसके बाद वीर सिंह ने 22 जनवरी 2022 को अपने हिस्से की जमीन के रुपये लेकर बैनामा करा दिया। भूप सिंह ने भी सात फरवरी 2022 को बैनामा करा दिया था। विजय बहादुर के अनुसार तीसरे हिस्सेदार रामकिशोर को उसके हिस्से की जमीन का भी सौदा 30 लाख 33 हजार रुपये में हुआ था।

कब्ज, गैस? पेट करे साफ
टेक्नोफार्म की
कैस्टोफीन®
टेबलेट व चूर्ण से आराम
CASTOPHENE®
RELIEF FROM CONSTIPATION
8601 841 515 Available at TATA 1mg

प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

प्रायोजक : पंजाब नेशनल बैंक

हेड ऑफिस : प्रथमा भवन, राम गंगा विहार फेज–2, कांठ रोड, मुरादाबाद–244001, उ.प्र.

क्षेत्रीय कार्यालयः अमरोहा
शाखाः कांठ, जिला मुरादाबाद

सार्वजनिक नीलामी द्वारा सम्पत्तियों की बिक्री हेतु सूचना

(वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियमानुसार) (नियम 8 (6) के तहत)

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) एवं सहपठित नियमों के अंतर्गत ऋणकर्ता एवं सनुबन्धियों को उनके सम्मुख अंकित तिथियों को नोटिस जारी कर उनसे 60 दिनों के अंदर मांग सूचना पत्र में वर्णित धनराशि अदा करने की मांग की थी। ऋणी/सहऋनुबन्धियों/बंधककर्ताओं द्वारा उपरोक्त समय अवधि में उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं सहपठित नियम (8) के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न वर्णित खातों में उनके सम्मुख अंकित तिथियों में बंधक सम्पतियों का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया। इस पर भी ऋणी/ सहऋनुबन्धियों/ बंधककर्ताओं द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने के कारण बैंक में बंधक अधल सम्पति को नीचे दिये गये विवरण के अनुसार नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। अतः इच्छुक व्यक्ति नीलामी में सम्मलित होने हेतु आमन्त्रित है।

क्र. सं.	ऋणी/ सहऋनुबंधियों का विवरण	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना की देय राशि/ कब्जे की तिथि व स्थिति	न्यूनतम आरक्षित मूल्य/धरोहर राशि/धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय नीलामी का स्थान
1.	**ऋण खाता संख्या : 86648542816520 , ऋणी :** श्री शहजाद अहमद (प्रतिष्ठान: मैसर्स रॉयल एंटरप्राइजेज) पुत्र श्री बाबू खान, निवासी: ईदगाह, नई बस्ती, महमूदपुर माफी, कांठ, तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद, **सहऋनुबंधी :** 1. श्री बाबू खान पुत्र श्री अली हुसैन एवं 2. श्रीमती सीमा खातून पत्नी श्री मोहम्मद फारूक, निवासीगण (1 व 2): ईदगाह नई बस्ती, महमूदपुर माफी, कांठ, तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद, 3. श्री कासिम अहमद पुत्र श्री शफीक अहमद, निवासी ग्राम गढ़ी, सलेमपुर, तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद।	दो संपति जिनपर संयुक्त रूप से एक रिहायशी मकान बना है जिसका कुल क्षेत्रफल 199.50 वर्गमी0(क्षेत्रफल 133 वर्गमी0+क्षेत्रफल 66.50 वर्गमी0) है स्थित है ईदगाह, नई बस्ती, महमूदपुर माफी, कांठ, तहा कांठ, जिला मुरादाबाद जोकि विक्रय विलेख सं0 2668/1993 एव विक्रय विलेख सं0 5224/1996 के द्वारा उप–निबंधक, अमरोहा कार्यालय में श्री बाबू खान पुत्र श्री अली हुसैन के नाम पजीकृत है। **सम्पति की चतुरसीमाएँ (संयुक्त संपति की) : पूर्व :** मकान अब्दुल रज्जाक, **पश्चिम :** सड़क लगभग 10 फीट चौड़ी, **उत्तर :** मकान नि0 अतीक एव साबिर **दक्षिण :** मकान सरदार एव मरहूम खुर्शीद ।	29.07.2022 रु. 6,16,017/– दिनाँक 30–06–2022 तक तत्पश्चात जमा धनराशि को समायोजित करने हए यदि कोई है 19–10–2022 / सांकेतिक	रु. 31,70,000/– रु. 3,17,000/– दिनाँक 09.01.2025 नीलामी से पूर्व	दिनांक 09.01.2025 प्रातः 11.00 बजे से दोप. 01.00 बजे तक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा कांठ, परिसर जिला मुरादाबाद
2.	**ऋण खाता संख्या : 86648537716963 , ऋणी :** मैसर्स अशर्फी टिंबर प्रोडक्ट, प्रोप: श्री खुर्शीद अहमद पुत्र श्री रईस अहमद, निवासी: मोह: पटे गंज, कांठ, तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद, **सहऋनुबंधी :** 1. श्री शाहिद अहमद पुत्र श्री अब्दुल रहीम, निवासी मौल्हला पट्टीवाला, कांठ, तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद, 2. श्री रईस अहमद पुत्र श्री कय्यूम उर्फ अब्दुल कय्यूम, निवासी महमूदपुर माफी, नई बस्ती, कांठ, तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद। **ऋण खाता संख्या: 8664NC18507850 , ऋणी :** श्री खुर्शीद अहमद पुत्र श्री रईस अहमद निवासी: मोह: पटे गंज, कांठ, तहसील कांठ, जिला– मुरादाबाद, **सहऋनुबंधी :** 1. श्री गुफरान अहमद पुत्र श्री मोहम्मद यूसुफ, निवासी महमूदपुर माफी नई बस्ती, कांठ, तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद 2. श्री मोहम्मद अनीस पुत्र श्री मोहम्मद यामीन, निवासी मानलगर, निकट मण्डी समिति, कांठ, तहसील कांठ, जिला मुरादाबाद।	एक रिहायशी मकान स्थित है मोहल्ला कासमपुर, निकट कांठ, (नगर पंचायत सीमा के बाहर), तहा कांठ, जिला मुरादाबाद। जिसका क्षेत्रफल 41 वर्ग यीटर है, जो कि विक्रय विलेख पंजीकरण सं0 2221/2013 के माध्यम से श्री खुर्शीद अहमद पुत्र श्री रईस अहमद के नाम पंजीकृत है, **सम्पति की चतुरसीमाएँ: पूर्व :** भूखंड अब्दुल हक, **पश्चिम :** भूखंड डाइवर, **उत्तर :** भूखंड हुसानू, **दक्षिण :** रास्ता 12 फीट चौड़ा।	रु. 18,18,000/– रु. 1,81,800/– दिनाँक 09.01.2025 नीलामी से पूर्व रु. 14,68,252.88 (रु. 11,21,487/– + रु. 3,46,765.88) दिनाँक 02–03–2020 तक तत्पश्चात जमा धनराशि को समायोजित करने हुए यदि कोई है 12–05–2022 / सांकेतिक	दिनांक 09.01.2025 प्रातः 11.00 बजे से दोप. 01.00 बजे तक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक शाखा कांठ, परिसर जिला मुरादाबाद

सम्पत्ति का पूरा विवरण/अन्य जानकारी संबंधित शाखा के पास से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की नियम एवं शर्तें :– 1. नीलामी के समय, बोलीदाता को ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत जमा करना होगा, जो प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक के पक्ष में देय हो, बोली से पूर्व जमा करना होगा। 2. बोलीदाता को अपना परिचय पत्र/आधार कार्ड/ पैन कार्ड साथ लाना होगा। 3. जैसे ही सफल बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाती है उसे उसी दिन नीलामी बोली का 25% (धरोहर राशि समायोजित करते हुए) जमा करना होगा तथा शेष रकम 15 दिनों में अंदर जमा करना होगा अन्यथा पूर्व में जमा की गयी रकम को जब्त कर लिया जाएगा। 4. उपरोक्त सम्पतियों को **''जैसा है जहां है, जो भी है''** के आधार पर विक्रय किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। 5. असफल बोलीदाताओं का ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर/आरटीजीएस/एनईएफटी सम्पति की नीलामी के बाद उसी दिन बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। 6. हस्तांतरण से संबंधित व्यय जैसे स्टाम्प एव पंजीकरण शुल्को आदि और अन्य सभी विधायी व्यय सफल बोलीदाताओं द्वारा वहन किए जाएंगे। 7. सम्पति पर सभी सरकारी कर और बकाये की जिम्मेवारी बोलीदाता की होगी। 8. अन्य जानकारी के लिए, किसी भी कार्य दिवस पर प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक की सम्बन्धित शाखा से सम्पर्क करें। 9. नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी और बोलीदाताओं को पांच हजार (5,000) के गुणांकों में अपनी बोली में सुधार करना होगा। नीलामी समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। 10. यदि ऋणी नीलामी से पूर्व बैंक को सम्पूर्ण धनराशि एवं देय ब्याज अन्य व्यय सहित भुगतान कर देता है तो उपरोक्त खाते में बंधक सम्पति की नीलामी को रद्द कर दिया जाएगा। 11. यह सूचना ऋणी, सहऋनुबंधी एवं बंधककर्ताओं को 30 दिनों की सूचना के रूप में पढ़ा जाए।

दिनांक: 03.12.2024 स्थान : कांठ

प्राधिकृत अधिकारी, प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक

dpcc
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति
LiFE Lifestyle for Environment
http://dpcc.delhigovt.nic.in

सार्वजनिक सूचना

कृपया ध्यान दें:

दिल्ली आने वाले सभी ट्रक/हल्के वाणिज्यिक वाहनों (एलसीवी) के मालिक/संचालक/चालक

दिल्ली में प्रवेश करने वाले सीमा बिंदुओं पर भीड़भाड़ से बचें

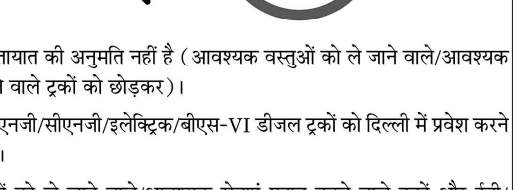

दिल्ली में ट्रक यातायात की अनुमति नहीं है (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर)।

हालांकि सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और ईवी/ सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।

दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिनांक 17.11.2024 के आदेश के अनुसार जीआरएपी (ग्रैप) चरण-IV को सख्ती से लागू किया गया है और सभी संबंधितों को जीआरएपी (ग्रैप) के विभिन्न चरणों को लागू करने/निरस्त करने के लिए सीएक्यूएम वेबसाइट (https://caqm.nic.in/) को नियमित रूप से जांचना आवश्यक है।

TMU HOSPITAL
पाकबड़ा, दिल्ली रोड, मुरादाबाद
Accredited with NAAC A Grade
12-B Status from UGC
900+ बेड का सभी सुविधाओं से सुसज्जित मल्टी एवं सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल
NABH PRE ACCREDITED

सुरक्षित व निःशुल्क डिलीवरी एवं नवजात शिशु के सम्पूर्ण इलाज के लिए विशेष कैम्प

स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
एवं
बाल रोग विभाग

दिनांक 1 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक
O.P.D. सोमवार से शनिवार सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक

निःशुल्क परामर्श
निःशुल्क अल्ट्रासाउंड
निःशुल्क ऑपरेशन
निःशुल्क दवाईयाँ
निःशुल्क जाँचें
निःशुल्क GICU / NICU/ PICU & Ventilator

विशेष प्रसव के बाद माँ और बच्चे के पौष्टिक आहार एवं शिशु की देखभाल के लिये ₹4000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

डिलीवरी के बाद नवजात शिशु की देखभाल एवं इलाज भी टीएमयू अस्पताल में निःशुल्क किया जायेगा

निःशुल्क परामर्श
निःशुल्क जाँचें
निःशुल्क दवाईयाँ (OPD / IPD)
निःशुल्क NICU / PICU & Ventilator

- नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी
- महिलाओं के बच्चेदानी की सफाई
- बच्चेदानी के मुँह की जाँच
- बच्चेदानी के कैंसर की दूरबीन विधि से जाँच
- दूरबीन विधि से बच्चेदानी और नलों की जाँच
- बच्चेदानी की रसौली का ऑपरेशन
- योनि में कसाव व गाँठ का ऑपरेशन
- बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन (Hysterectomy)
- बच्चा होने के लिए सभी जाँचें
- नलें बंद करने का ऑपरेशन

- उपरोक्त छूट एवं निःशुल्क सुविधाएं जनरल वार्ड में 48 घंटे तक भर्ती होने पर ही मान्य
- जनरल वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए भोजन निःशुल्क
- MRI / CT स्कैन पर 50% की छूट
- बाहर की जांचें ₹2000/- तक की निःशुल्क
- इम्प्लांट (प्रत्यारोपण) चार्ज अतिरिक्त

हेल्पलाइन नं. 9258112588
इमरजेंसी नं. 9568865444